

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(23)वित्त/आब/2018

जयपुर, दिनांक: 12.06.2018

आदेश


राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के नियम 11 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश दिनांक 05.07.2018 के अनुसार श्री संजीव कुमार पटावरी, सहायक आबकारी अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जाने के कारण कार्मिक विभाग के स्तर पर ज्ञापन जारी होकर जांच प्रकरण विचाराधीन होने के कारण उक्त जांच प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने के अध्यक्षीन समिति द्वारा श्री संजीव कुमार पटावरी को रिक्ति वर्ष 2018-19 में जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान) के पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंसा सील कवर की गयी थी।

प्रकरण में जारी ज्ञापन को कार्मिक विभाग के आदेश संख्या प01(269)कार्मिक/क-3/जांच/2016 दिनांक 26.02.2019 द्वारा समाप्त किये जाने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश दिनांक 05.07.2018 के अनुसार श्री संजीव कुमार पटावरी को वर्ष 2018-19 की रिक्ति में पदोन्नति हेतु योग्य पाया गया तथा रिक्ति वर्ष 2018-19 (रिक्ति दिनांक 01.07.2018 ) में इन्हें जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान) के पद पर श्री संजीव कुमार पटावरी की वरिष्ठता श्री भवानी सिंह (पदोन्नति वर्ष 2018-19) के नाम के नीचे रहेगी।

संबंधित अधिकारी कमोन्नत/कमावनत पद पर अविलम्ब कार्य ग्रहण कर पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,



(ऑफिसरमल राजोतिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आग्र्युक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभागी की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. श्री संजीव कुमार पटावरी, सहायक आबकारी अधिकारी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव